


न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

..... बनाम
 अजाननी लाल मण
 किस्म मुकदमा मु. नं० वर्ष 2015
 16

दिनांक	आज्ञा पत्र	
6.11.13	<p>पत्रावली पेश। प्रकरण म अपील/रिस्कॉलेट क अधिवक्ता ने बहस हतु समय चाहा, जो दिख गया फरवनी वास्ते बहस दिनांक 27.11.13 को को <i>AY</i></p>	
27.11.13	<p>पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त न उपास्थत हाक बाहिर किया कि वो अपील चलाना नहीं चाहते हैं अतः अपील नोट प्रेस में खारिज की जाये। हमने वकील अपीलान्त से आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये कि वे अपील नोट प्रेस में खारिज करने में सहमत है। फलस्वरूप अपील अपीलान्त नोट प्रेस में खारिज की जाती है निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फंसल शुमार होकर नम्बर से कप होकर बाद तरतीक क्रमिल दाखिल दफन हो। <i>AY</i></p>	<p>Not Press <i>Not Press</i> <i>bi...</i></p>

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प इन्डियन)